

॥ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग ॥

प्ररूप-ड
(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक /
प्रति, /प्र.02 /अ.वि.अ. / 2025

दुर्ग, दिनांक 21 / 04 / 2025

श्री कुंवरसिंह देवांगन
निवासी- सड़क नंबर 5, पंचशील हाउसिंग सोसायटी,
सेक्टर-बी, बोरसी जिला दुर्ग
मौजा-ग्राम बोरसी
तहसील व जिला-दुर्ग (छ0ग0)

विषय :- वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।
संदर्भ :- राजस्व प्रकरण क्रमांक 202504100400 256 / अ-62 / सन् 2024-25.

.....00.....

विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक 16.01.2025 को इस न्यायालय में प्रेषित किया गया था। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 16.01.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2025 प्राप्त हुआ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:-ग्राम बोरसी, प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग में स्थित खसरा नं. 206/44, रकबा 0.0440 हे0 भूमि में 09 नग सागौन वृक्ष स्थित है, आवेदक द्वारा उक्त वृक्षों को पूर्व में रोपित किया गया था जिन्हे उक्त वृक्षों के गिरने से आस-पास के लोगों और संपत्ति को खतरा होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्षों कटाई किया जाना, प्रतिवेदित किया है।

राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बोरसी, प.ह.नं. 39 रा. नि.मं. कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग में स्थित खसरा नं. 206/44, रकबा 0.0440 हे0 भूमि में 09 नग सागौन वृक्ष स्थित है, आवेदक द्वारा उक्त वृक्षों को पूर्व में रोपित किया गया था जिन्हे उक्त वृक्षों के गिरने से आस-पास के लोगों और संपत्ति को खतरा होने की संभावना को देखते हुये उक्त वृक्षों कटाई किये जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

पृ.क्रमांक /
प्रतिलिपि :- /प्र.02 /अ.वि.अ. / 2025



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

दुर्ग, दिनांक 21 / 04 / 2025

1. कलेक्टर महोदय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. तहसीलदार, तहसील, दुर्ग को सूचनार्थ।

—
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग